[2021] 11 एस. सी. आर. 511

डेली डे 'सूज़ा

बनाम

विभाग प्रमुख के माध्यम से भारत सरकार

श्रम आयुक्त (सी) और अन्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1319)

29 अक्टूबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और संजीव खन्ना, जे. जे.]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948: s.22A, s.22C (1) और (2)-अपीलार्थी डब्ल्यू. एस. कंपनी का निदेशक है जिसने एक समझौता किया था।

दूसरी कंपनी के साथ एटीएम की सेवा के लिए-बाद वाली कंपनी

अपने सभी ए. टी. एम. के रखरखाव और रखरखाव के लिए स्टेट बैंक के साथ समझौता किया था-श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी और डब्ल्यू. एस. कंपनी के प्रमुख (आरोपी संख्या 2) को 1948 के अधिनियम डब्ल्यू. एस. के प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया गया था।

कंपनी ने जवाब दिया कि वे न तो एटीएम का प्रबंधन करते हैं और न ही काम करते हैं

ए. टी. एम. में-अपीलार्थी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतें और

एस के तहत डब्ल्यू. एस. कंपनी के प्रमुख। 22 ए-डब्ल्यू. एस. कंपनी को शिकायत में अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था और उसे मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया गया था-अपीलार्थी-निदेशक ने एस. दायर किया। 482 सी. आर. पी. सी. याचिका जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अधिनियम का s.22A एक 'अन्य अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान' है जहां "कोई भी

नियोक्ता जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि इसके लिए कोई अन्य दंड का प्रावधान नहीं है।

इस अधिनियम द्वारा ऐसा उल्लंघन जुर्माने से दंडनीय होगा। "-उप-धारा (1) से एस। 22 सी में कहा गया है कि जहां किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था

वह कंपनी का प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी को स्वयं अपराध का दोषी माना जाएगा-आवश्यक निहितार्थ से, यह इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है वह एस के तहत अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। 22 अधिनियम के सी (1), जो एक अपवाद की प्रकृति का है, में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो उप-धारा (1) के तहत उत्तरदायी है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को होने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

सबसे पहले उप-धारा (1) से लेकर एस तक की आवश्यकताओं को स्थापित करने के लिए अभियोजन। 22 अधिनियम-उप-धारा (2) के सी में कहा गया है कि उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित होता है कि ऐसा अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

कंपनी के सचिव या अन्य अधिकारी, तब कंपनी के ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी होंगे -

"कंपनी के प्रभारी" और "कंपनी के प्रति उत्तरदायी" शब्द उप-धारा (1) के लिए महत्वपूर्ण हैं-इस आवश्यकता को उप-धारा (1) के प्रभाव को लागू करने और व्यक्ति को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति साबित होने पर दंडित किया जाना चाहिए -

उप-धारा (2) से लेकर एस तक की आवश्यकताएँ। 22 अधिनियम के सी उप-धारा (1) से लेकर एस तक भिन्न हैं। 22 अधिनियम का ग-धारा (2) से धारा (2) के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व। 22 सी निदेशक, प्रबंधक के कारण उत्पन्न हो सकता है, सचिव, या अन्य अधिकारी की व्यक्तिगत आचरण, कार्यात्मक या लेन-देन की भूमिका, इसके बावजूद कि अपराध के समय व्यक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में नहीं था।

अपराध किया गया था-प्रत्यावर्ती दायित्व तब आकर्षित होता है जब अपराध सहमति, मिलीभगत से किया जाता है, या इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है

कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से उपेक्षा-इस मामले के तथ्यात्मक संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि शिकायत उप-धारा (1) से लेकर धारा 1 तक के अधिदेश को पूरा नहीं करती है।

22 अधिनियम का ग चूंकि ऐसा कोई दावा या अभिकथन नहीं है कि अपीलार्थी डब्ल्यू. एस. कंपनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था-वर्तमान मामले में उप-धारा (1) का परन्तुक लागू नहीं होगा-यह एक अपवाद है जो तब लागू होगा और तभी लागू होगा जब उप-धारा (1) से लेकर धाराओं की शर्तें लागू होंगी। 22 सी संतुष्ट हैं-किसी विशिष्ट कथन के अभाव में, तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष एस पर भरोसा नहीं करता है और न ही कर सकता है। 22 अधिनियम का ग (2)-इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध और अभियुक्त सं. 2 निरस्त कर दिए जाते हैं। दायित्व: प्रत्यावर्ती दायित्व-एक कंपनी के न्यायिक व्यक्ति होने के नाते उसे कैद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अपने आप में एक सजा है-प्रत्येक सजा के प्रतिकूल परिणाम होते हैं, और इसलिए, कंपनी पर मुकदमा चलाना अनिवार्य है-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1. अधिनियम की धारा 22 ए, जो प्रावधान लागू किया गया है, वह है -

वह व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा। आवश्यक निहितार्थ से, यह इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है वह परोक्ष रूप से नहीं है अधिनियम की धारा 22 सी (1) के तहत उत्तरदायी। परंतुक, जो एक अपवाद की प्रकृति का है, कहता है कि एक व्यक्ति जो उप-धारा (1) के तहत उत्तरदायी है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने प्रयोग किया था।

इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम। परंतुक का लाभ लेने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है, लेकिन यह अभियोजन पक्ष पर प्रारंभिक जिम्मेदारी और बोझ को स्थानांतरित या बाहर नहीं करता है ताकि पहले यह स्थापित किया जा सके कि

अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) की आवश्यकताएँ। द.

प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा देना है जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है

अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) के तहत। परंतुक को एक अपवाद होने के कारण अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) के तहत शर्तों की संतुष्टि के बिना अभियोजन शुरू करने और शुरू करने का औचित्य या आधार नहीं बनाया जा सकता है। वह परंतुक जो अभियुक्त पर अपवाद साबित करने की जिम्मेदारी डालता है, मुख्य प्रावधान, अर्थात् अधिनियम की धारा 22 सी (1) के तहत जिम्मेदारी को उलट नहीं देता है, जो अभियोजन पक्ष पर रहता है न कि मुकदमा चलाए जा रहे व्यक्ति पर। [पैरा 8,10] [521-बी-सी; 522-सी-एफ;

523 - जी-एच; 524-ए]

एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और

एक और (2005) 8 एससीसी 89: [2005] 3 पूरक। एससीआर 371;

अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट

लिमिटेड (2012) 5 एससीसी 661 [2012] 5 एससीआर 503 पर भरोसा किया गया

पर।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. उप-धारा (2) में कहा गया है कि किसी भी चीज के बावजूद

उप-धारा (1) में निहित है, जहां किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि ऐसा अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो कंपनी के ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। बहुत कुछ के बिना

निदेशक, प्रबंधक, सचिव के रूप में उनकी स्थिति या स्थिति के कारण या कोई अन्य अधिकारी, जब तक कि विचाराधीन अपराध उनकी सहमति या मिलीभगत से नहीं किया गया था या किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है।

उनकी तरफ से। धारा 22सी की उप-धारा (2) के तहत जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है न कि उस व्यक्ति पर जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

[पैरा 11] [524-बी-डी]

3. धारा 22सी की उप-धारा (2) के विपरीत, उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से 'निदेशक, प्रबंधक, सचिव' शब्द का उपयोग नहीं करती है।

या कंपनी के अन्य अधिकारी को उन्हें प्रत्यावर्ती दायित्व प्रावधान के दायरे में लाने के लिए, भले ही प्रत्येक व्यक्ति कंपनी का प्रभारी हो और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार हो।

विचाराधीन अपराध के होने का समय अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। 'कंपनी का प्रभारी' और 'कंपनी के प्रति उत्तरदायी' शब्द उप-धारा (1) के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस आवश्यकता को डीमिंग प्रभाव के लिए पूरा करना होगा उप-धारा (1) आवेदन करने के लिए और व्यक्ति को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए और ऐसी स्थिति साबित होने पर दंडित करने के लिए। [पैरा 12] [524-ई-एफ]

गिरधारी लाल गुप्ता बनाम। डी. एच. मेहता और एक अन्य 1971

(3) एससीसी 189: [1971] 3 एससीआर 748: [1971] 3 एस. सी. आर. 748; कर्नाटक राज्य बनाम प्रताप चंद और अन्य। (1981) 2 एससीसी 335: [1981] 3 एससीआर 200; नगर निगम

दिल्ली बनाम। पुरुषोत्तम दास झुनझुनवाला और अन्य

(1983) 1 एस. सी. सी 9: [1983] 1 एस. सी. आर. 895; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम। हरमीत सिंह पेंटल और एक अन्य (2010) 3 एस. सी. सी. 330: [2010] 2 एससीआर 805 -

पर भरोसा किया।

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से।

दिल्ली नगर निगम बनाम। राम किशन रोहतगी

और अन्य 1983 (1) एससीसी 1: [1983] 1 एससीआर 884

संदर्भित किया गया।

4. अधिनियम की उप-धारा (2) से धारा 22 सी की आवश्यकताएं अधिनियम की उप-धारा (1) से धारा 22 सी तक अलग हैं।

धारा 22 सी की उप-धारा (2) के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण, कार्यात्मक या लेन-देन की भूमिका के कारण उत्पन्न हो सकता है, इसके बावजूद कि अपराध के समय व्यक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में नहीं था। प्रत्यावर्ती दायित्व तब आकर्षित होता है जब अपराध सहमति, मिलीभगत से किया जाता है, या कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से उपेक्षा के कारण होता है। [पैरा 17] [529-सी-डी]

5. वर्तमान तथ्यात्मक संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि शिकायत अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) के अधिदेश को संतुष्ट नहीं करती है क्योंकि ऐसा कोई दावा या अभिकथन नहीं है कि -

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी डब्ल्यू. एस. कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार था जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर वर्णित मामलों में व्याख्या की गई थी। इस मामले में उप-धारा (1) का परन्तुक लागू नहीं होगा। यह एक अपवाद है जो धारा 22 सी की उप-धारा (1) की शर्तों के पूरा होने पर ही लागू होगा और लागू होगा। विशेष रूप से, किसी विशिष्ट कथन के अभाव में, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं करता है

और अधिनियम की धारा 22 सी (2) पर भरोसा नहीं कर सकते। [पैरा 18] [529-ई-जी]

मद्रास राज्य बनाम। सी. वी. पारेख और एक अन्य (1970) 3 एस. सी. सी. 491; शरद कुमार सांघी बनाम। संगीता राणे (2015) 12 एससीसी 781: [2015] 2 एस. सी. आर. 145; हिमांशु बनाम। बी.

शिवमूर्ति और एक अन्य (2019) 3 एस. सी. सी. 797: [2019] 1

एससीआर 991-पर निर्भर।

श्योरतन अग्रवाल और एक अन्य वी। मध्य राज्य प्रदेश (1984) 4 एससीसी 352: [1985] 1 एस. सी. आर. 719; अनिल हाडा बनाम। इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड (2000) 1 एस. सी. सी. 1: [1999] 5 पूरक। एस. सी. आर. 6; अनिल गुप्ता बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (2014) 10 एस. सी. सी. 373 [2014] 8 एस. सी. आर. 183; हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम। मध्य प्रदेश राज्य

(2020) 10 एस. सी. सी. 751-संदर्भित।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. एक कंपनी के न्यायिक व्यक्ति होने के नाते उसे कैद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अपने आप में एक सजा है। प्रत्येक सजा के प्रतिकूल परिणाम होते हैं, और इसलिए,

कंपनी पर मुकदमा चलाना अनिवार्य है। अपवाद संभवतः तब होगा जब कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया हो या वैधानिक प्रतिबंध के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हो। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसे अपवादों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अतः वर्तमान में अभियोजन पक्ष को इस कारण से भी विफल होना चाहिए। [पैरा 27] [536-डी-ई]

7. शिकायत उल्लंघन को संदर्भित करती है क्योंकि कुछ नोटिस प्रदर्शित नहीं किए गए थे और कुछ रजिस्टर और फॉर्म 'कार्यस्थल' पर नहीं रखे गए थे। एक संक्षिप्त उत्तर के रूप में कारण-सह-अनुपालन

सूचना के जवाब में कहा गया है कि कंपनी न तो एटीएम का प्रबंधन करती है और न ही एटीएम पर काम करती है और एटीएम साइट का प्रबंधन संबंधित बैंकों द्वारा किया जाता था और इसलिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है, स्वैच्छिक उन पर लागू नहीं होता है। शिकायत में यह नहीं बताया गया है कि जवाब में कमी क्यों थी या भारतीय स्टेट बैंक के ए. टी. एम. स्थल पर कंपनी के कर्मचारियों की गतिविधि और भागीदारी की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त रूप से भी संकेत नहीं दिया गया है जो विचाराधीन स्थल पर अनुपालन को अनिवार्य करता है। हम गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं दे रहे हैं, हालांकि इन पहलुओं पर शिकायत के अभाव और मौन होने पर प्रकाश डालते हुए कि क्या अधिकारियों ने अभियोजन शुरू करने से पहले तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कानूनी प्रावधानों पर विचार किया था।

[पैरा 28] [536-एफ-एच; 537-ए-बी]

8. अनुपालन की पुष्टि करने के कर्तव्य के साथ सौंपे गए अधिकारियों को अक्सर पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा की जांच करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई सहित सख्त कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाता है। नियमों के पालन को लागू करने की आवश्यकता पर भी कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि लाभकारी कानून न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के श्रमिक के मूल अधिकार की रक्षा करता है। नियम पुस्तिका यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और अनुपस्थिति, ओवरटाइम भुगतान, कटौती आदि के रूप में अनावश्यक विवादों या आरोपों के बिना कानून के अनुसार उनके बकाया का भुगतान किया जाए। [पैरा 29] [537-बी-सी]

राजस्व निदेशालय और एक अन्य v. मोहम्मद निसार होलिया 2008 (2) एससीसी 370: [2007] 12 एससीआर 906 -

संदर्भित किया गया।

9. लगभग प्रत्येक कानून लागू करने और दंडित करने के लिए परिचालन शक्ति प्रदान करता है, जिससे किस शक्ति का लगातार प्रयोग किया जाना है मामला दर मामला, लेकिन एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के लिए अनुकूलित।

दैनिक डी 'सूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से।

हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का अनुच्छेद इस नियम पर प्रकाश डालता है कि अभियोजन एजेंसियों के साथ निहित विवेकाधिकार को तकनीकी, अनुचित उल्लंघनों और वास्तविक और ईमानदार विश्वास के मामलों में विचारशील होने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है, और छलपूर्ण और झूठे आचरण के मामलों में दृढ़ता से क्षमा नहीं किया जाता है। कभी-कभी कानूनी प्रावधानों को बहुत विस्तार से लिखा जाता है ताकि इसमें शामिल चर और जटिलताओं को देखते हुए एक विस्तृत पहुंच प्रदान की जा सके, और चूक से बचने और सबटरफ्यूज की जांच करने के लिए भी। हालांकि, प्रावधान का कानूनी अर्थ अमूर्त रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर लागू किया जाता है। इसलिए

यह आवश्यक है कि अधिकारियों को दिए गए विवेकाधिकार को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए और विवेकपूर्ण, अप्रत्याशित या अनुचित परिणामों से बचें। अधिनियम के इरादे, उद्देश्य और उद्देश्य को विवेक के प्रयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि यह धारणा है कि निर्माताओं ने विसंगत या अव्यवहारिक होने का अनुमान नहीं लगाया था

परिणाम। इरादा एक अनजाने में चूक करने वाले को निशाना बनाना और दंडित करना नहीं होना चाहिए जो मूल रूप से कानून का पालन करता है।

[पैरा 30] [538-सी-एफ]

एम/एस। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। ओरिसा राज्य 1969 (2)

एससीसी 627: [1970] 1 एससीआर 753-पर निर्भर।

10. अभियोजन की शुरुआत और एक आरोपी को मुकदमे में खड़े होने के लिए बुलाने के गंभीर परिणाम होते हैं। वे विस्तार करते हैं

आर्थिक हानि से लेकर समाज में अपमान और बदनामी तक, समय का त्याग और रक्षा की तैयारी के लिए प्रयास और समाज की चिंता

अनिश्चित समय। आपराधिक कानून को निश्चित रूप से या पर्याप्त और आवश्यक जांच के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

केवल संदेह पर तथ्यों का, या जब कानून का उल्लंघन संदिग्ध हो। यह लोक अधिकारी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह आगे बढ़े जिम्मेदारी से और सही और सही तथ्यों का पता लगाएं। कानूनी प्रावधानों के साथ उचित परिचितता और उनके आवेदन की व्यापक समझ के बिना कानून के निष्पादन के परिणामस्वरूप एक निर्दोष पर मुकदमा चलाया जा सकता है। [पैरा 31] [538-जी; 539-ए-बी]

11. समान रूप से, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह यांत्रिक और नियमित तरीके से समन जारी न करे। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसका पूरा उद्देश्य

1973 की संहिता के अध्याय XV के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने से निराशा होती है। 1973 की संहिता की धारा 200 के प्रावधान (ए) के तहत, [2021] 11 एस. सी. को दर्ज करने से छूट हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब एक निजी शिकायत अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक के समक्ष दायर की जाती है तो पूर्व-समन साक्षय; हालाँकि, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य यह देखने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना है

कि क्या लगाए गए आरोपों और साक्षय का आधार, संज्ञान लेने और आरोपी को समन करने के लिए एक प्रथम मामला है या नहीं। [पैरा 32] [539-सी-डी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम। राज्य

(दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2009) 1 एस. सी. सी. 407: [2008]

16 एससीआर 83-पर भरोसा किया गया।

12. समन के परिणामस्वरूप प्रक्रिया का मुद्दा एक जूडी है

प्रक्रिया जो अपने साथ एक पवित्रता और औचित्य का वादा करती है। [पैरा 32] [539-एच]

मामला कानून संदर्भ

[2005] 3 पूरक। एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पैरा10

[2012] 5 एससीआर 503

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1971] 3 एससीआर 748

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1981] 3 एससीआर 200

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[1983] 1 एससीआर 884

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[1983] 1 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2010] 2 एससीआर 805

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

(1970) 3 एस. सी. सी. 491

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1985] 1 एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1999] 5 पूरक। एससीआर 6

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2012] 5 एससीआर 503

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

[2014] 8 एससीआर 183

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2015] 2 एससीआर 145

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2019] 1 एससीआर 991

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

(2020) 10 एस. सी. सी. 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2007] 12 एससीआर 906

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[1970] 1 एससीआर 753

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2008] 16 एससीआर 83

उस पर भरोसा करें

पैरा 32 डेइल डिसूजा बनाम। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1319।

एम. सी. आर. में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 20.01.2020 के निर्णय और आदेश से। सी. 2016 का No.846।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , समशेर गरुड़, संदीप सुधाकर देशमुख, सुश्री शुभांगी जैन, पंकज सिंघल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., सुभ्रांशु पाधी, पी. वी. योगेश्वरन, अमरीश कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी, डेल डिसूज़ा, मेसर्स के निदेशक हैं। लेखक।

सेफगार्ड प्रा. लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित)। 2009 में कंपनी ने एक समझौता किया था जिसका शीर्षक था -

मेसर्स के साथ स्वचालित टेलर मशीनों की सेवा और पुन:पूर्ति।

एन. सी. आर. निगम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने पहले भारतीय स्टेट बैंक के साथ रखरखाव और रखरखाव के लिए एक समझौता किया था।

भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम का रखरखाव। 19 फरवरी 2014 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ने ए. एस. टी., कोमल चंद पेट्रोल पंप, सिविल लाइन्स, सागर, मध्य प्रदेश (इसके बाद 'ए. टी. एम.' के रूप में संदर्भित) में भारतीय स्टेट बैंक के ए. टी. एम. का निरीक्षण किया था। 6 मार्च 2014 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) द्वारा अपीलार्थी और मध्य प्रदेश के मेसर्स के प्रमुख विनोद सिंह को एक नोटिस जारी किया गया था। राइटर सेफगार्ड प्रा. लिमिटेड ने ए. टी. एम. पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (संक्षेप में, 'अधिनियम') और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 (संक्षेप में, 'नियम') के प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया। 02 अप्रैल 2014 को कंपनी ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि वे न तो प्रबंधन करते हैं

न ही एटीएम में काम करते हैं। चार महीने से अधिक समय के बाद, श्रम

प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ने 08 अगस्त 2014 के पत्र द्वारा अपीलार्थी और विनोद सिंह को सूचित किया कि उन्हें 14 अगस्त 2014 को अदालत में पेश होना होगा। 14 अगस्त 2014 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ने अधिनियम की धारा 22 ए के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर, मध्य प्रदेश की अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। हम बाद में शिकायत की सामग्री का उल्लेख करेंगे।

3. शिकायत की प्रस्तुति की तारीख, यानी 14 अगस्त 2014 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सागर, मध्य प्रदेश ने [2021] 11 एस. सी. आर. लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. इसके बाद, 1 अगस्त 2015 को, अपीलार्थी ने आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जबलपुर में अपनी प्रधान पीठ पर शिकायत को रद्द करने के लिए प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में 'संहिता')

आपराधिक मामला सं. 3398/2014। M.Cr.C में आक्षेपित क्रम से। नहीं। 846/2016 दिनांक 20 जनवरी 2020 को, उच्च न्यायालय ने याचिका को बिना योग्यता के खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

5. विचाराधीन शिकायत के अवलोकन पर, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, हम ध्यान देते हैं कि दो व्यक्तियों को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अर्थात्: (i) डेल डिसूजा-हमारे समक्ष अपीलकर्ता, जिसे कारण-शीर्षक के अनुसार मेसर्स का निदेशक कहा जाता है। राइटर सेफगार्ड प्रा. लिमिटेड और मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित राइटर हाउस के निवासी; और (ii) विनोद सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है, मेसर्स के मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। राइटर सेफगार्ड प्रा. लिमिटेड और भोपाल, मध्य प्रदेश का निवासी। कंपनी को शिकायत में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है और उसे मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया गया है।

6. पैराग्राफ में दोनों अभियुक्तों के संदर्भ में शिकायत

3 कहते हैं:

" (3) कि अभियुक्त व्यक्ति ठेकेदार हैं जो श्रमिकों के माध्यम से नकद लोडिंग और नकदी की प्रतिभूति का काम प्राप्त कर रहे थे और वे उक्त अधिनियम के तहत उक्त काम में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार और भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के भाग 2 (ई) के तहत नियोक्ता हैं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है:

" (4) कि उक्त नियोक्ता का कार्य भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस. ओ. 1284 (ई) दिनांक 20.05.2009 के तहत विनियमित है और वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोक्ता हैं,

1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 "।

7. शिकायत में कहा गया है कि 19 फरवरी 2014 को निरीक्षण किया गया था

डे 'सूजा बनाम पर नियम 21 (4), 22,25 (2), 26 (1) और 26 (5) के उल्लंघन का खुलासा किया था।

जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

रखने और प्रदर्शित करने में विफलता का खाता, जैसा भी मामला हो, जुर्माना रजिस्टर प्रपत्र-1, रजिस्टर प्रपत्र-2, न्यूनतम मजदूरी की सूचना, नियम और अधिनियम का सार, कार्यस्थल पर हिंदी

और अंग्रेजी में पते के साथ निरीक्षकों का नाम, ओवरटाइम रजिस्टर, मजदूरी भुगतान रजिस्टर और कार्यस्थल या किसी भी आस-पास के स्थान (स्थानों) पर उपस्थिति रजिस्टर।

यदि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए कोई अन्य दंड का प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है

पाँच सौ रुपये तक। " "अपराधों का संज्ञान" शीर्षक के साथ धारा 22 बी की उप-धारा (1) के खंड (बी) में कहा गया है कि "कोई भी अदालत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध के लिए-धारा 22 के खंड (बी) के तहत या धारा 22 ए के तहत, एक निरीक्षक द्वारा की गई शिकायत या उसकी मंजूरी के अलावा, किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लेगी"। धारा 22 बी की उप धारा (2), जहां तक यह धारा 22 ए से संबंधित है, उपखंड (बी) के अनुसार कहता है कि "कोई भी न्यायालय धारा 22 ए के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि उसकी शिकायत उस तारीख के छह महीने के भीतर नहीं की जाती है जिस दिन अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है।"

9. तथापि, वर्तमान अपील के संदर्भ में, यह अधिनियम की धारा 22 सी है जो अधिक प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

" 22 सी. कंपनियों द्वारा अपराध।

(1) यदि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था।

अपराध का दोषी माना जाएगा और उत्तरदायी होगा

उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और तदनुसार दंडित किया जाए:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

ऐसा अपराध।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध सहमति [2021] 11 एस. सी. आर. के साथ किया गया है।

या की मिलीभगत, या की ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी का अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उत्तरदायी होगा।

उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और तदनुसार दंडित किया जाए।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें एक फर्म या

व्यक्तियों के अन्य संघ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है फर्म में भागीदार। ”

प्रतिबद्ध था-प्रभारी था और कंपनी के लिए जिम्मेदार था व्यवसाय के संचालन के लिए, साथ ही कंपनी को स्वयं अपराध का दोषी माना जाएगा। आवश्यक निहितार्थ से, यह इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वह अधिनियम की धारा 22 सी (1) के तहत प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। परंतुक, जो एक अपवाद की प्रकृति का है, कहता है कि एक व्यक्ति जो उप धारा (1) के तहत उत्तरदायी है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। संतुष्ट करने की जिम्मेदारी

परंतुक का लाभ उठाने की आवश्यकताएं अभियुक्त पर हैं, लेकिन यह अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) की आवश्यकताओं को पहले स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर प्रारंभिक दायित्व और बोझ को विस्थापित या समाप्त नहीं करता है। परंतुक उस व्यक्ति को प्रतिरक्षा देना है जो अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) के तहत अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 141 में पैरी मैटेरिया परंतुक के संबंध में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 4 ..... एक कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति होने के नाते, उसके सभी कार्य और कार्य दूसरों के कार्यों का परिणाम हैं। इसलिए, कंपनी के अधिकारी जो कंपनी के नाम पर किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। यह हर व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था, प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, अपराध के लिए उत्तरदायी था।

1 (2005) 8 एस. सी. सी 89.

ले डेसूज़ा बनाम। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख बोर्ड आयुक्त (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

जो यह साबित करने में सक्षम हैं कि अपराध बिना किए किया गया था उनके ज्ञान या कि उन्होंने सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था

अपराध करने से रोकें।

XX

XX

XX

9. प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक का पद

एक कंपनी में अलग हो सकता है। इन व्यक्तियों को पदनाम के रूप में

उनके कार्यालय का सुझाव है, एक कंपनी के प्रभारी हैं और हैं कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। में।

दायित्व से बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपना मामला लाना पड़ सकता है

अपराध या कि उन्होंने रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया अपराध का कमीशन "।

(जोर दिया गया)

अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट

2 इस न्यायालय ने दोहराया था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के तहत सामान्य प्रत्यावर्ती प्राधिकरण के लिए परंतुक लागू होता है।

अपवाद, अवलोकन करके:

" 22. उक्त प्रावधान को पढ़ने पर, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि यदि

वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करता है

एक कंपनी, कंपनी के साथ-साथ प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति और

व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी

अपराध के समय कंपनी को माना जाता है

अपराध का दोषी। पहला परंतुक किसके तहत बनता है

परिस्थितियों में आपराधिक दायित्व तय नहीं किया जाएगा। उप.

मिलीभगत, लापरवाही और सहमति की अवधारणाएँ जो कई लोगों को घेर लेती हैं अधिकारियों की श्रेणियाँ। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों प्रावधानों में,

आपराधिक दायित्व की एक "मानित" अवधारणा है।

(जोर दिया गया)

परंतुक के अपवाद होने के कारण इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है या

की संतुष्टि के बिना अभियोजन शुरू करना और शुरू करनाअधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई। परंतुक अभियुक्त पर अपवाद साबित करने की जिम्मेदारी रखता है, नहीं

2) 5 एससीसी 661।

मुख्य प्रावधान, अर्थात् अधिनियम की धारा 22 सी (1) के तहत दायित्व को उलट दें, जो अभियोजन पक्ष पर रहता है न कि व्यक्ति पर।

मुकदमा चलाया गया।

11. उप-धारा (2) में कहा गया है कि कुछ भी निहित होने के बावजूद

उप-धारा (1) में, जहां अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित होता है कि ऐसा अपराध किया गया है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो कंपनी के ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। बहुत अधिक हलचल के बिना, यह है

या निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी के रूप में पद, जब तक कि विचाराधीन अपराध उनकी सहमति या मिलीभगत से नहीं किया गया था। या उनकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। धारा 22 सी की उप-धारा (2) के तहत जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है न कि उस व्यक्ति पर जो

मुकदमा चलाया गया।

12. धारा 22 सी की उप-धारा (2) के विपरीत, उप-धारा (1)

कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी शब्द का उपयोग उन्हें प्रत्यावर्ती देयता प्रावधान के दायरे में लाने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है, भले ही कंपनी के प्रभारी और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति विचाराधीन अपराध को अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। 'कंपनी का प्रभारी' और 'कंपनी के प्रति उत्तरदायी' शब्द उप-धारा (1) के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अपेक्षा को उप-धारा (1) के प्रभाव को लागू करने के लिए और व्यक्ति को कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए और ऐसी स्थिति साबित होने पर दंडित करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 23-सी (1) और 23-सी (2) में प्रयुक्त एक समान अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए,

1947 , इस न्यायालय ने गिरधारी लाल गुप्ता बनाम. डी. एच. मेहता और एक अन्य,

3

आयोजित किया गया है:

" 6. फिर "प्रभारी व्यक्ति और" अभिव्यक्ति क्या करती है?

एक कंपनी के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार "मतलब? यह.

यह ध्यान दिया जाएगा कि "कंपनी" शब्द में एक फर्म या अन्य शामिल है।

एसोसिएशन, और वही परीक्षण प्रभारी निदेशक पर लागू होना चाहिए और किसी व्यवसाय के प्रभारी फर्म का भागीदार। हमें ऐसा लगता है कि

3 1971 (3) एससीसी 189।

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

इस संदर्भ में "प्रभारी" व्यक्ति का अर्थ यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति

के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के सभी नियंत्रण में होना चाहिए

कंपनी या फर्म। यह निष्कर्ष के शब्दों से मिलता है धारा 23-सी (2)। इसमें निर्देशक का उल्लेख है, जो एक पक्ष हो सकता है

कंपनी का व्यवसाय। आगे इसमें प्रबंधक का उल्लेख है, जो आम तौर पर व्यवसाय का प्रभारी होता है लेकिन पूर्ण प्रभार में नहीं होता है।

इसी तरह, अन्य अधिकारी केवल कुछ हिस्से के प्रभारी हो सकते हैं।

व्यवसाय।

XX

XX

XX

8. आर. के. खंडेलवाल बनाम राज्य डी. एस. माथुर, जे., निर्माण में औषधि अधिनियम, 1940 की धारा 27 के समान एक प्रावधान

हम चिंतित हैं, देखा गया है:

" ऐसे निदेशक हो सकते हैं जो केवल नीति निर्धारित करते हैं और वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से चिंतित नहीं हैं।

नतीजतन, केवल यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति एक है

कंपनी का भागीदार या निदेशक, उसे नहीं बनाएगा।

कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी

जब तक कि अन्य सामग्री स्थापित नहीं की जाती है जो उसे बनाती हैं आपराधिक रूप से उत्तरदायी। 9999

जो दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में नहीं हैं

कंपनी या फर्म को इसके तहत रचनात्मक रूप से उत्तरदायी नहीं माना जाता है

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23-सी (1)।

13. 'प्रभारी' शब्द के अर्थ पर यह व्याख्या और

कर्नाटक राज्य v में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था। प्रताप चंद और अन्य। यह निर्णय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत एक फर्म के भागीदार के खिलाफ मुकदमा चलाने से संबंधित है। निर्णय में उक्त अधिनियम की धारा 34 (जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 सी में स्पष्टीकरण के साथ समान सामग्री है) के स्पष्टीकरण का उल्लेख किया गया है ताकि यह देखा जा सके कि उक्त धारा के तहत कंपनी पर दायित्व अधिरोपित करने के उद्देश्य से, एक कंपनी में एक निगमित निकाय, एक फर्म या व्यक्तियों का एक संघ शामिल है। किसी फर्म के संबंध में निदेशक का अर्थ है

उस फर्म में भागीदार। इसलिए, भागीदारों के मामले में भी, जब कोई फर्म कोई अपराध करती है, तो किसी भी उप-धारा की आवश्यकता होती है।

(1) या धारा 22 सी की उप-धारा (2) को संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उप-धारा (1) के संदर्भ में, भागीदार को "प्रभारी" होना चाहिए और

4 (1981) 2 एससीसी 335।

" गिरधारी लाल गुप्ता (ऊपर) के कथन के अनुसार अपने व्यवसाय के संचालन के लिए फर्म के प्रति उत्तरदायी। इसके अलावा, उप-धारा (2) के अनुसार, एक भागीदार भी उत्तरदायी हो सकता है, जैसे कि एक निदेशक के आचरण के लिए उत्तरदायी है।

एक कंपनी का व्यवसाय, यदि अपराध संबंधित भागीदार की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या संबंधित भागीदार की ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है।

14. बहुत पहले 1982 में दिल्ली नगर निगम बनाम.

राम किशन रोहतगी और अन्य, 5 इस न्यायालय ने समन के स्तर पर एक विनिर्माण कंपनी के निदेशकों के खिलाफ खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। यह देखते हुए कि शिकायत में किया गया अनुमानित दावा कि आरोपी कंपनी के निदेशक नमूने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, अस्पष्ट था। शिकायत में "इस तरह" शब्दों के उपयोग से संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता ने केवल यह अनुमान लगाया था कि निदेशक दोषी होने चाहिए क्योंकि वे निदेशक के पद पर थे। न्यायालय ने राय दी कि शिकायत में बिना किसी विशिष्ट कथन या आपराधिक आरोप लगाए निदेशकों के खिलाफ इस तरह के अनुमानित आरोप अपर्याप्त होंगे। इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 का संदर्भ दिया गया, जो न्यायालय को उस व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लेने और आगे बढ़ने का अधिकार देता है जो उसके समक्ष आरोपी नहीं है और उसे अन्य लोगों के साथ मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के तर्क को बरकरार रखते हुए, इस पर प्रकाश डाला गया:

" 12 ..... शिकायत का मुख्य खंड जो विषय है विवाद का विषय खंड 5 है जिसे इस प्रकार निकाला जा सकता है:

5. वह आरोपी 3 प्रबंधक है, आरोपी 2 और आरोपी 4

7 तक अभियुक्त 2 के निदेशक हैं और इस तरह वे थे

व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार

नमूना लेने के समय आरोपी 2।

XX

XX

XX

14. रिलायंस को "इस तरह" शब्दों पर रखा गया है ताकि

के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार कंपनी। यह सच है कि इस तथ्य का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि

5 1983 (1) एससीसी 1.

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

निदेशक वास्तव में निर्माण के प्रभारी थे और व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार लेकिन शब्द "जैसे"

इंगित करें कि शिकायतकर्ता ने केवल यह अनुमान लगाया है कि

कंपनी के निदेशकों को दोषी होना चाहिए क्योंकि वे पकड़ रहे हैं

एक विशेष कार्यालय। इस तर्क को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला।

न्यायालय जिसने निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया

प्रबंधक के खिलाफ भी, प्रतिवादी 1 "।

हालांकि, एक अभियोजन की शुरुआत और समन आदेश

तथ्यात्मक संदर्भ में प्रबंधक के खिलाफ उचित माना गया था।

15. नगरपालिका शीर्षक से उसी पीठ के एक अन्य निर्णय में

दिल्ली निगम बनाम। पुरुषोत्तम दास झुनजुनवाला और अन्य, दावा यह था कि व्यक्तिगत आरोपी, अर्थात् कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक, "अपराध के समय अपने व्यवसाय के संचालन के लिए इसके प्रभारी और जिम्मेदार थे"। "जैसे" शब्द गायब थे। इसलिए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी के निदेशकों को नहीं किया जा रहा था

अभियोजन केवल उनके आधिकारिक पद के कारण चलाया गया, लेकिन इस दावे के कारण कि वे "अपराध के समय व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार" थे। अभियुक्त द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका और उनके दायित्व की सीमा के बारे में एक स्पष्ट कथन था। तदनुसार, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए, जिसके द्वारा निदेशकों आदि को कानून के अनुसार मुकदमे के लिए बुलाया गया था और उनके खिलाफ अभियोजन को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा है:

" 3 ..... अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक आरोप-उत्तरदाता

शिकायत के पैरा 5 में पाए जाने वाले हैं जिन्हें निकाला जा सकता है

इस प्रकार:

अपने व्यवसाय के संचालन के लिए इसके प्रभारी और जिम्मेदार अपराध करने के समय।

XX

XX

XX

5. तत्काल मामले में, इस संबंध में एक स्पष्ट कथन किया गया है

उत्तरदाताओं द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका और उनकी सीमा

दायित्व। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 5

शिकायत अस्पष्ट है और उत्तरदाता 1 को इसमें शामिल नहीं करती है

11. उत्तरदाताओं के खिलाफ क्या सबूत होगा

इस स्तर पर विचार करने के लिए एक मामला नहीं है और होना होगा

मुकदमे में साबित हुआ। हम पहले ही मान चुके हैं कि इस उद्देश्य के लिए

कार्यवाही को रद्द करना केवल में दिए गए आरोप

शिकायत को देखा जाना चाहिए और आगे कुछ नहीं।

16. कई निर्णयों में कानूनी स्थिति को और स्पष्ट किया गया है। हालाँकि, वर्तमान निर्णय के लिए, हम इसका उल्लेख करेंगे

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में सारांश v. हरमीत सिंह पेंटल और एक अन्य, 8 निम्नलिखित प्रभाव के लिए:

" 39. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं: ((i)

प्राथमिक जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की है कि वह

शिकायत में कानून के तहत आवश्यक विशिष्ट अभिकथन ताकि आरोपी को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। आपराधिक दायित्व को मजबूत करने के लिए, ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि प्रत्येक निदेशक लेन-देन के बारे में जानता है।

((ख)

धारा 141 सभी निदेशकों को उत्तरदायी नहीं बनाती है

अपराध। आपराधिक दायित्व केवल उन लोगों पर लगाया जा सकता है जो अपराध करने के समय अपराध में शामिल थे।

के प्रभारी थे और संचालन के लिए जिम्मेदार थे

कंपनी का व्यवसाय।

किसी कंपनी के खिलाफ प्रत्यावर्ती देयता का अनुमान लगाया जा सकता है।

(iii)

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत केवल तभी पंजीकृत या निगमित किया जाता है जब शिकायत/याचिका में अपेक्षित बयान दिए जाते हैं ताकि आरोपी को अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके।

याचिका में कथनों के साथ कंपनी द्वारा

जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त प्रभारी थे और

कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार और पुण्य से

अपनी स्थिति के अनुसार वे आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं।

2 (iv) किसी व्यक्ति की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व का अनुरोध किया जाना चाहिए।

और साबित किया और अनुमान नहीं लगाया।

यदि अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक है

(v)

निदेशक को तब विशिष्ट कथन करना आवश्यक नहीं है।

7 देखिए, पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और दूसरा, (2014) 16 एस. सी. सी. 1; गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। अनु मेहता और अन्य, (2015) 1 एस. सी. सी. 103; शैलेंद्र स्वरूप बनाम। उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, (2020) 16 एस. सी. सी. 561।

8 (2010) 3 एससीसी 330।

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

शिकायत में और अपनी स्थिति के आधार पर वे हैं

जिसके साथ आगे बढ़ना संभव है। यदि अभियुक्त किसी कंपनी का निदेशक या अधिकारी है

(vi)

जिसने कंपनी की ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए हैं, तब भी शिकायत में विशिष्ट कथन करना आवश्यक नहीं है।

(vii) उत्तरदायी बनाए जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में निदेशक का कोई दायित्व नहीं माना जाता है।

मामले "।

17. अधिनियम की उप-धारा (2) से लेकर धारा 22 सी तक की आवश्यकताएं अधिनियम की उप-धारा (1) से लेकर धारा 22 सी तक अलग हैं। विकेरियस धारा 22 सी की उप-धारा (2) के तहत दायित्व निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण, कार्यात्मकता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

या लेन-देन की भूमिका, इसके बावजूद कि जब अपराध किया गया था तब व्यक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में नहीं था। प्रत्यावर्ती दायित्व तब आकर्षित होता है जब

अपराध सहमति, मिलीभगत से किया जाता है, या निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कंपनी।

18. हमारे सामने मौजूद तथ्यात्मक संदर्भ में यह स्पष्ट है कि शिकायत अधिनियम की धारा 22 सी की उप-धारा (1) के अधिदेश को संतुष्ट नहीं करती है क्योंकि ऐसा कोई दावा या अभिकथन नहीं है कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी कंपनी मेसर्स के प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था। राइटर सेफगार्ड प्रा. लिमिटेड ऊपर वर्णित मामलों में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए तरीके से। वर्तमान मामले में उप-धारा (1) का परन्तुक लागू नहीं होगा। यह एक अपवाद है जो लागू होगा और

धारा 22 सी की उप-धारा (1) की शर्तों के पूरा होने पर ही यह लागू होता है। विशेष रूप से, किसी विशिष्ट कथन के अभाव में, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 22 सी (2) पर भरोसा नहीं करता है और न ही कर सकता है।

19. वर्तमान में अभियोजन पक्ष के लिए एक और कठिनाई है

मामला क्योंकि कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया है या अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए तलब भी नहीं किया गया है। राज्य में प्रस्तावित कानून की स्थिति

मद्रास बनाम. सी. वी. पारेख और अन्य: 9, पढ़ता है:

9 9 (1970) 3 एससीसी 491।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 3. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 के आधार पर दोनों उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने की मांग की, जिसके तहत, यदि व्यक्ति किसी आदेश का उल्लंघन करता है। धारा 3 के तहत बनाई गई (जिसमें लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के तहत एक आदेश शामिल है), एक कंपनी है, प्रत्येक व्यक्ति जो

जिस समय उल्लंघन किया गया था, वह व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था। कंपनी के साथ-साथ कंपनी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। यह आग्रह किया गया था कि दोनों उत्तरदाता कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी थे, और इसके लिए जिम्मेदार थे, और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें बिक्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और

इस प्रकार लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश के खंड (5) के प्रावधानों का उल्लंघन करना। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह धारा 10 की प्रयोज्यता के लिए पहली शर्त की अनदेखी करता है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति स्वयं एक कंपनी होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश के खंड (5) के उल्लंघन में बिक्री कंपनी द्वारा की गई थी। वास्तव में, कंपनी पर अपराध का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था। कंपनी के प्रभारी व्यक्तियों का दायित्व

उल्लंघन कामदार और वल्लभदास ठाकरे द्वारा किया गया था और उनके द्वारा किसी भी उल्लंघन की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होगी। उत्तरदाताओं। इसलिए, उत्तरदाताओं को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है।

न्यायसंगत है। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

20. हालाँकि, इस प्रस्ताव को बाद में श्योरतन अग्रवाल और अनदर वी से अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य। 1 0 यह मामला

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत समान सामग्री प्रावधान से संबंधित। अदालत ने माना कि इनमें से कोई भी: कंपनी ने स्वयं; व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति; या कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य

कंपनी का अधिकारी जिसकी सहमति या मिलीभगत से या क्योंकि 10 (1984) 4 एससीसी 352।

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

जिनकी उपेक्षा का अपराध किया गया था, उन पर अकेले मुकदमा चलाया जा सकता था। हालांकि, कंपनी के प्रभारी व्यक्ति या एक अधिकारी को उस क्षमता में तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब यह स्थापित हो जाए कि कंपनी द्वारा भी उल्लंघन किया गया है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यदि उसे दोषी पाया जाना है और दंडित किया जाना है तो कंपनी के प्रभारी व्यक्ति या अधिकारी को कंपनी के साथ-साथ आरोपित किया जाना चाहिए।

21. श्योरतन अग्रवाल (ऊपर) में तर्क पर भरोसा करते हुए और सी. वी. पारेख (ऊपर) की व्याख्या को सीमित करते हुए, यह न्यायालय अनिल में

हाडा वी। भारतीय एक्रिलिक Ltd.[11] 11 ने माना था कि:

" 13. यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया था तो उसे दंडित किया जा सकता है।

केवल तभी जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन मुकदमा चलाने के बजाय

कंपनी यदि कोई प्राप्तकर्ता केवल दूसरी या तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है तो प्राप्तकर्ता मामले में तभी सफल हो सकता है जब वह यह दिखाने में सफल हो कि अपराध वास्तव में कंपनी द्वारा किया गया था। ऐसे अभियोजन में अभियुक्त यह दिखा सकता है कि कंपनी ने अपराध नहीं किया है, हालांकि ऐसी कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, और इसलिए अभियोजित अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। प्रावधानों में यह शर्त नहीं है कि कंपनी का अभियोजन उन अन्य व्यक्तियों के अभियोजन के लिए अनिवार्य है जो ऊपर उल्लिखित दूसरी और तीसरी श्रेणियों में आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निष्कर्ष कि अपराध कंपनी द्वारा किया गया था, अनिवार्य है। उन अन्य व्यक्तियों को दोषी ठहराना। लेकिन यदि किसी कंपनी पर किसी कानूनी गड़बड़ी या अन्यथा के कारण मुकदमा नहीं चलाया जाता है, तो अन्य अभियोजित व्यक्ति, केवल उसी आधार पर, अधिनियम की धारा 141 में परिकल्पित कानूनी कल्पना के माध्यम से बनाए गए दंडात्मक दायित्व से बच नहीं सकते हैं।

22. हालाँकि, इस न्यायालय के बाद के फैसलों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह प्रावधान काल्पनिक मानते हुए प्रत्यावर्ती दायित्व को लागू करता है। जो स्वयं कंपनी द्वारा अपराध करने का अनुमान लगाता है और इसकी अपेक्षा करता है क्योंकि यह एक अलग न्यायिक इकाई है। इसलिए, जब तक कि

उप-धारा (1) में उल्लिखित दंडनीय नहीं होगा और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 (1), अप्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। काल्पनिक मानकर कंपनी के अधिकारियों के प्रति आपराधिक दायित्व, जो केवल तभी उत्पन्न होता है जब अपराध कंपनी द्वारा ही किया जाता है और नहीं

11 (2000) 1 एससीसी 1.

अन्यथा। अनीता हाड़ा बनाम में शेओराटान अग्रवाल और अनिल हाड़ा को पछाड़ दिया। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 2 और 3-इस अदालत की न्यायाधीश पीठ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व पर व्याख्या करते हुए कहा है:

" 51. हम पहले ही राय दे चुके हैं कि शेओराटन में निर्णय

अग्रवाल सी. वी. पारेख में निर्धारित अनुपात के विपरीत हैं जो

यह एक बड़ी पीठ द्वारा है और इसलिए, एक बाध्यकारी मिसाल है। जिस पर उपरोक्त अनुपात, अनिल हाडा में निर्णय को माना जाना चाहिए

जहाँ तक यह कहा गया है कि सही कानून निर्धारित नहीं किया गया है

निदेशक या किसी अन्य अधिकारी पर बिना मुकदमा चलाए चलाया जा सकता है।

कंपनी का अपमान। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि

एक अलग पायदान पर खड़ा होगा जहाँ कुछ कानूनी है

बाधा और लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया का सिद्धांत आकर्षित होता है।

XX

XX

XX

59. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम अप्रतिरोध्य पर पहुँचते हैं

समान रूप से प्रत्यावर्ती दायित्व की कसौटी पर नेट किया गया है प्रावधान में ही निर्धारित। हम इस आधार पर कहते हैं कि

सी. वी. पारेख में निर्धारित अनुपात जो तीन-न्यायाधीशों की पीठ है

निर्णय लें। इस प्रकार, श्योरतन अग्रवाल में व्यक्त विचार ऐसा ही है कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है और तदनुसार, इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अनिल हाडा में निर्णय को क्वालीफायर के साथ खारिज कर दिया गया है जैसा कि कहा गया है। पैरा 51 में। मोदी डिस्टिलरी में निर्णय को माना जाना चाहिए

अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित जैसा कि हमारे द्वारा समझाया गया है

इसके ऊपर "।

23. अनीता हाड़ा (ऊपर) में निर्धारित कानून का प्रस्ताव

इस न्यायालय द्वारा अनिल गुप्ता बनाम में भरोसा किया गया था। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य: 13 1

" 13. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा

दिनांक 13-8-2007 [दूरदर्शी मीडिया नेटवर्क v. स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड, क्रिमिनल मिस्क। 2004 का मामला संख्या 2380,13-8 पर निर्णय लिया गया

2007 (डेल)] ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी 2 कंपनी के खिलाफ शिकायत

12 (2012) 5 एससीसी 661।

13 (2014) 10 एससीसी 373।

' ले डिसूजा बनाम। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख बोर्ड आयुक्त (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

बनाए रखने योग्य नहीं था और द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया गया था प्रतिवादी 2 कंपनी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट। इस प्रकार, कंपनी

धारा 138 के तहत कार्यवाही में पक्षकार नहीं होना

अधिनियम की धारा 141 और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

अनिल हाडा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट निर्णय दिया गया है

अनीता हाड़ा मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया,

हमारे पास बाकी हिस्से को अलग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

विवादित निर्णय [दूरदर्शी मीडिया नेटवर्क बनाम। स्टार इंडिया (पी)

लिमिटेड, क्रिमिनल मिस्क। 2004 का मामला संख्या 2380,13-8 पर निर्णय लिया गया 2007 (डेल)] जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही

अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुपस्थिति में भी जारी रखी जा सकती है -

कंपनी। हम, तदनुसार, विवादित के उस हिस्से को अलग रखते हैं।

निर्णय दिनांक 13-8-2007 [दूरदर्शी मीडिया नेटवर्क बनाम। स्टार

इंडिया (पी) लिमिटेड, क्रिमिनल मिस्क। 2004 का मामला सं. 2380, जिस पर निर्णय लिया गया

13-8-2007 (देल)] उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया जहाँ तक यह संबंधित है

अपीलार्थी और इसके अनुसरण में समन और कार्यवाही को रद्द करता है 2001 का शिकायत मामला सं. 698 अपीलार्थी के खिलाफ है।

24. शरद कुमार सांघी बनाम। संगीता राणे, 1 4 यह न्यायालय

वेद कि:

प्रबंध निदेशक तक ही सीमित हैं। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, आरोप अस्पष्ट हैं और वास्तव में, मुख्य रूप से आरोप हैं

कंपनी के खिलाफ। इनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है

प्रबंध निदेशक। जब किसी कंपनी को एक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है

पक्षकार, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, यहां तक कि जहां प्रतिनिधि हों

दायित्व को कुछ कानूनों के तहत निर्धारित किया जाता है। यह एक द्वारा आयोजित किया गया है

तीन-अनीता हाडा बनाम में न्यायाधीश पीठ। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड

परक्राम्य लिखत अधिनियम के संदर्भ में टूर्स (पी) लिमिटेड,

1881 .

XX

XX

XX

13. जब कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किया गया है,

ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। हमने ऐसा कहा है कि

पूर्णता के लिए। अंतिम विश्लेषण में, हम हैं माना जाता है कि उच्च न्यायालय को अच्छा होना चाहिए था

5) 12 एससीसी 781।

[2021] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की सलाह दी गई अपीलार्थी और यह कि ऐसा नहीं किया गया है, आदेश संवेदनशील रूप से कमजोर है और तदनुसार हम इसे अलग रखते हैं और रद्द करते हैं

प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही अपीलार्थी "।

25. इस स्थिति को फिर से स्पष्ट किया गया और इस न्यायालय के मनु बनाम द्वारा दोहराया गया। बी. शिवमूर्ति और एक अन्य। 1 5 सुसंगत भाग और निर्णय इस प्रकार है:

" 6. उच्च न्यायालय के फैसले पर दो आधारों पर सवाल उठाए गए हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि सबसे पहले, अपीलार्थी पर कंपनी को अभियुक्त के रूप में नामित किए बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। चेक कंपनी द्वारा जारी किया गया था और इसके निदेशक के रूप में अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। दूसरा, यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अब शिकायत में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है,

गलत धारणा है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपराध

धारा 138 के तहत केवल मांग की सूचना जारी होने और निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की विफलता पर पूरा होता है। धारा 138 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में, यह दावा किया जाता है कि उच्च न्यायालय का यह निर्देश कि कंपनी को इस स्तर पर आरोपित किया जा सकता है, गलत है।

7. अपीलार्थी की ओर से पहली प्रस्तुति अब आरईएस नहीं है समाकलन। अनीता हाडा बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

विवाद का। जिस मुद्दे पर विचार किया जाना था वह यह था कि क्या किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी को आरोपी बनाए बिना परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया: (एस. सी. सी पी. 688, पैरा 58)

" 58. सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि कंपनी द्वारा अपराध करना दूसरों के प्रत्यावर्ती दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त है। इस प्रकार "कंपनी के साथ-साथ" शब्द दिखाई देते हैं। इस धारा में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल व्यक्ति

अन्य श्रेणियों में उल्लिखित अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।

9) 3 एससीसी 797।

डी 'सूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का अपने आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से विभाग प्रमुख। [संजीव खन्ना, जे।]

याचिका में अभिकथनों के अधीन अपराध के लिए और

इसका प्रमाण। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि

कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और इसकी अपनी सम्माननीयता है। अगर एक निष्कर्ष इसके खिलाफ दर्ज किया जाता है, यह एक अवतलता पैदा करेगा

उसकी प्रतिष्ठा। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब निगम

जब किसी निदेशक को दोषी ठहराया जाता है तो प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।

इसी तरह की शर्तों पर, न्यायालय ने आगे कहा: (एस. सी. सी पी. 688, पैरा 59)

" 59. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम इस पर पहुँचते हैं अप्रतिरोध्य निष्कर्ष कि अभियोजन को बनाए रखने के लिए

अधिनियम की धारा 141, एक कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित करना अनिवार्य है। अपराधियों की अन्य श्रेणियां केवल हो सकती हैं

प्रत्यावर्ती देयता की कसौटी पर ड्रैग-नेट लाया गया

जैसा कि प्रावधान में ही निर्धारित किया गया है।

XX

XX

XX

12. धारा 141 के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति

धारा 138 के तहत अपराध करना एक कंपनी है, प्रत्येक

व्यक्ति, जो उस समय जब अपराध किया गया था

कंपनी के प्रभारी थे या आचरण के लिए जिम्मेदार थे

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय का,

अपराध का दोषी माना जाएगा और उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की और दंडित किया।

13. कंपनी की अनुपस्थिति में एक के रूप में आरोपित किया जा रहा है

अभियुक्त, अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत इसलिए नहीं थी

कंपनी पर मांग की सूचना का अभाव और धारा 138 के परंतुक के अनुपालन के बिना,

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि कंपनी कर सकती है

अब अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाए। "

5. अनीता में निर्धारित कानून के उसी प्रस्ताव को लागू करना

), हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। की स्थिति

प्रदेश 1 6 की रोकथाम में समान सामग्री प्रावधान लागू करना

परिवर्तन अधिनियम, 1954 ने अभिनिर्धारित किया कि:

3. अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) का खंड (ए)

ई प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए नामित व्यक्ति

0 एससीसी 751।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी और कंपनी होगी

अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत अपराधों का दोषी। इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 और अधिनियम की धारा 17 के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है जो कंपनी के साथ-साथ नामित व्यक्ति को अपराधों का दोषी ठहराता है और/या आगे बढ़ने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

तदनुसार। खंड (ए) और (बी) विकल्प में नहीं हैं लेकिन

यदि निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था, तो हम पाते हैं कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अपीलार्थी नामित व्यक्ति के लिए अनुचित होगा जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से मुकदमे का सामना कर रहा है। इसलिए, कमी को भरने के लिए निचली अदालत को रिमांड का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक उचित विकल्प नहीं है क्योंकि निचली अदालत द्वारा कंपनी को दोषी ठहराने में विफलता नामित व्यक्ति की पूरी दोषसिद्धि को अस्थिर बनाती है। 27. उपरोक्त अनुपात के संदर्भ में, एक कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है

इसे कैद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे जुर्माने के अधीन किया जा सकता है, जो अपने आप में एक सजा है। प्रत्येक सजा के प्रतिकूल परिणाम होते हैं, और

इसलिए, कंपनी पर मुकदमा चलाना अनिवार्य है। अपवाद संभवतः तब होगा जब कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया हो या वैधानिक प्रतिबंध के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हो। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसे अपवादों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस प्रकार, वर्तमान अभियोजन को इसी कारण से भी विफल होना चाहिए।

उल्लंघन क्योंकि कुछ नोटिस प्रदर्शित नहीं किए गए थे और कुछ रजिस्टर और फॉर्म 'कार्यस्थल' पर नहीं रखे गए थे, अर्थात्, एएसटी, कोमल चंद पेट्रोल पंप, सिविल लाइन्स, सागर, जिला सागर में एस. बी. आई. का ए. टी. एम। कारण-सह-अनुपालन सूचना के रूप में एक प्रतिक्रिया मेसर्स के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संक्षिप्त जवाब। राइटर सेफगार्ड प्रा. लिमिटेड ने 02 अप्रैल, 2014 को जिस तथ्य को स्वीकार किया था, उसे शिकायत में स्वीकार नहीं किया गया है। इस संक्षिप्त उत्तर में कहा गया है कि कंपनी न तो एटीएम का प्रबंधन करती है और न ही एटीएम पर काम करती है और एटीएम साइट का प्रबंधन संबंधित बैंकों द्वारा किया जाता था और इसलिए, स्वैच्छिक रूप से

कथित उन पर लागू नहीं होते हैं। शिकायत में यह नहीं बताया गया है कि जवाब में कमी क्यों थी या राज्य दैनिक डी 'सूजा v के एटीएम स्थल पर कंपनी के श्रमिकों की गतिविधि और भागीदारी की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त रूप से भी संकेत नहीं दिया गया है।

जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

बैंक ऑफ इंडिया विचाराधीन स्थल पर अनुपालन अनिवार्य कर रहा है। हम गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं दे रहे हैं, हालांकि इन पहलुओं पर शिकायत के अभाव और मौन होने पर प्रकाश डालते हैं और क्या अधिकारियों ने कानूनी माना है अभियोजन शुरू करने से पहले तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में प्रावधान।

29. अनुपालन की पुष्टि करने का कर्तव्य दिए गए अधिकारियों को अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई सहित सख्त कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाता है

अवज्ञा का पालन करें और जाँच करें। नियमों के पालन को लागू करने की आवश्यकता पर भी कोई विवाद नहीं हो सकता है क्योंकि लाभकारी कानून न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के श्रमिक के मूल अधिकार की रक्षा करता है। नियम पुस्तिका यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और अनुपस्थिति, ओवरटाइम भुगतान, कटौती आदि के बारे में अनावश्यक विवादों या आरोपों के बिना कानून के अनुसार उनके बकाया का भुगतान किया जाए। 30. साथ ही, अभियोजन की शुरुआत के अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होते हैं। निदेशालय में

राजस्व और एक अन्य वी। मोहम्मद निसार होलिया, "यह न्यायालय स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित अधिदेशों में से एक के रूप में पर्याप्त आधारों के बिना परेशान नहीं होने के अधिकार को

मान्यता देता है। इस प्रकार, कानून प्रवर्तन शक्ति और नागरिकों की अन्याय और उत्पीड़न से सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता और आवश्यकता को बनाए रखा जाना चाहिए। इससे पहले एम/एस में। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। ओरिसा राज्य, 18 इस न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा यांत्रिक तरीके से दंड प्रावधानों के आह्वान के पहलू पर प्रकाश डाला:

" 8. अधिनियम के तहत विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है-अधिनियम की धारा 25 (1) (ए) के साथ धारा 9 (1) पढ़ें। लेकिन दंड का भुगतान करने का दायित्व केवल इसके प्रमाण पर नहीं उत्पन्न होता है विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने में चूक। एक वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए दंड लगाने का आदेश एक अर्ध आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है, और जुर्माना आम तौर पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पक्ष या तो जानबूझकर कानून की अवज्ञा में कार्य करने के लिए बाध्य न हो या दूषित या बेईमान आचरण का दोषी न हो, या अपने दायित्व की सचेत अवहेलना में कार्य न करे। जुर्माना भी केवल इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऐसा करना वैध है। कानूनी दायित्व का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं, यह प्राधिकरण के विवेक का विषय है जिसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और

17 2008 (2) एससीसी 370।

18 1969 (2) एससीसी 627।

सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करना। भले ही न्यूनतम जुर्माना निर्धारित किया गया हो, जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी जुर्माना लगाने से इनकार करने में उचित होगा, जब अधिनियम के प्रावधानों का तकनीकी या अनुचित उल्लंघन होता है या जहां उल्लंघन इस प्रामाणिक विश्वास से होता है कि अपराधी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी को एक व्यापारी के रूप में पंजीकृत करने में विफल रहने में कंपनी के मामलों के प्रभारी लोगों ने इस ईमानदार और वास्तविक विश्वास में काम किया कि कंपनी एक व्यापारी नहीं थी। यह मानते हुए कि उन्होंने गलती की, कोई मामला नहीं

जुर्माना लगाने के लिए बनाया गया था "।

लगभग प्रत्येक कानून लागू करने और दंडित करने के लिए परिचालन शक्ति प्रदान करता है, जिसका उपयोग मामले-दर-मामले लगातार किया जाना है, लेकिन एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के अनुकूल बनाया जाना है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (ऊपर) का अंश इस नियम पर प्रकाश डालता है कि

अभियोजन एजेंसियों के साथ निहित विवेकाधिकार को तकनीकी, अनुचित उल्लंघनों और वास्तविक और ईमानदार विश्वास के मामलों में विचारशील होने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है, और छलपूर्ण और झूठे आचरण के मामलों में दृढ़ता से क्षमा नहीं किया जाता है। कभी-कभी

कानूनी प्रावधानों को बहुत विस्तार से लिखा गया है ताकि इसमें शामिल चर और जटिलताओं को देखते हुए एक विस्तृत पहुंच प्रदान की जा सके, और चूक से बचने और गड़बड़ी की जांच करने के लिए भी। हालाँकि, प्रावधान का कानूनी अर्थ अमूर्त रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर लागू किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विवेकाधिकार प्रदान किया जाए

अधिकारियों को निष्पक्ष, अप्रत्याशित या अनुचित परिणामों से बचने के लिए निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाता है। उद्देश्य, उद्देश्य और उद्देश्य

अधिनियम को विवेकाधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि यह धारणा है कि निर्माताओं ने विसंगत या अव्यवहारिक होने का अनुमान नहीं लगाया था

31. इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जिनमें समन आदेश के महत्व के संदर्भ में यह कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन की शुरुआत और किसी अभियुक्त को मुकदमे में खड़े होने के लिए बुलाने के गंभीर परिणाम होते हैं। वे मौद्रिक से फैलते हैं

19 कार्य और पेंशन राज्य सचिव बनाम बी [2005] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 929 पर [43]। 20 पृष्ठ संख्या 371 पर बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, छठा संस्करण, भाग VI देखें। 21 देखें- पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य, (1998) 5 एस. सी. सी. 749; जी. एच. सी. एल. कर्मचारी स्टॉक विकल्प न्यास बनाम। इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड और अन्य, (2013) 4 एससीसी 505; कृष्ण लाल चावला और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2021) 5 एससीसी 435।

डेली डेसूज़ा वी। जीओवीटी। भारत का विभाग प्रमुख श्रम आयोग (सी) और ए. एन. आर. के माध्यम से। [संजीव खन्ना, जे।]

समाज में अपमान और बदनामी का नुकसान, रक्षा और अनिश्चित समय की चिंता को तैयार करने के लिए समय और प्रयास का त्याग। आपराधिक कानून को निश्चित रूप से या केवल संदेह के आधार पर तथ्यों की पर्याप्त और आवश्यक जांच के बिना, या जब कानून का उल्लंघन किया जाता है, तब लागू नहीं किया जाना चाहिए।

संदिग्ध। यह लोक अधिकारी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह जिम्मेदारी से आगे बढ़े और सही और सही तथ्यों का पता लगाए। कानून का निष्पादन

कानूनी प्रावधानों के साथ उचित परिचितता के बिना और

उनके आवेदन की व्यापक समझ के परिणामस्वरूप एक निर्दोष पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

32. समान रूप से, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह यांत्रिक और नियमित तरीके से समन जारी न करे। यदि ऐसा किया जाता है, तो 1973 की संहिता के अध्याय XV के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने का पूरा उद्देश्य प्राप्त होता है

हताश हो जाते हैं। 1973 की संहिता की धारा 200 के परंतुक (ए) के तहत, जब कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में एक निजी शिकायत दायर करता है, तो समन से पहले साक्षय दर्ज करने से छूट हो सकती है; हालाँकि, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह यह देखने के लिए अपना दिमाग लगाए कि क्या लगाए गए आरोपों और साक्षय के आधार पर, आरोपी को संज्ञान लेने और समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है या नहीं। इस न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम में इस छूट के पीछे के तर्क को समझाया। राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली) और अन्य: 22

" 12. संहिता की धारा 200 का उद्देश्य शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ की जानी है, यह पता लगाने के लिए कि क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

अभियुक्त और उन शिकायतों पर प्रक्रिया जारी करने को रोकने के लिए जो झूठी या परेशान करने वाली हैं या जिनके रूप में प्रस्तुत व्यक्तियों को परेशान करने का इरादा है

अभियुक्त। (निर्मलजीत सिंह हूं बनाम देखें। डब्ल्यू. बी. की स्थिति) जहाँ शिकायतकर्ता लोक सेवक या न्यायालय है, संहिता की धारा 200 के परंतुक का खंड (ए) एक निहित वैधानिकता को जन्म देता है।

यह धारणा कि शिकायत जिम्मेदारी से की गई है और

ईमानदारी से और गलत या परेशान करने के लिए नहीं। इस तरह के निहित अनुमान के कारण, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, कानून शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा से पहले छूट देता है।

जारी करने की प्रक्रिया।

समन के परिणामस्वरूप प्रक्रिया का मुद्दा एक न्यायिक प्रक्रिया है जो अपने साथ एक पवित्रता और कानूनी औचित्य का वादा करती है।

22 (2009) 1 एससीसी 407।

33. परिणामस्वरूप, और ऊपर बताए गए कारणों से, हम वर्तमान अपील की अनुमति देंगे और समन आदेश और कार्यवाही को रद्द कर देंगे।

वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध।

34. अभियुक्त नं. 2, विनोद सिंह भी इस आदेश के लाभ के हकदार होंगे। तदनुसार, अभियुक्त नं. 2 , अर्थात् विनोद सिंह को भी रद्द कर दिया गया है।

देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।